पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि हरजी पुत्र लाखा के वारिसान के सम्मन तलवाने प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद अदम तकमील में खारिज कर त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के आपस में मन–मुटाव होने से भी अभिभाषक से संपर्क नहीं कर सके जिससे सअपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर सके अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु अपील को स्वीकार की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है क्योंकि जिस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश की है उसके विरूद्ध न तो धारा 223 एव ंना ही धारा 225 के तहत अपील की जा सकती है, क्योंकि धारा 223 राज0काश्त0अधि0 के तहत डिक्री के विरूद्ध ही अपील पेश की जा सकती है तथा आदेश 9 नियम 4 व 5 के तहत पारित आदेश डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है । इसी प्रकार राज0काश्त0अधि0 की धारा 225 के तहत अपील केवल उन्हीं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की जा सकती है जो धारा 212 राज0काश्त0अधि0 से संबंधित हो या आदेश 43 जा0दी0 में वर्णित प्रकृति का आदेश हो या राज0काश्त0अधि0 की तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रकृति का आदेश हो, जबकि अपीलाधीन आदेश इनमें से किसी में भी शामिल नहीं किया जा सकता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2012 पेज 207, ए0आई0आर02003 राज0 पेज 98 के विधिक दृष्टांत पेश किये तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद दिनांक 28.7.2010 को अदम तकमील में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 का उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अधी0न्याया0 के आदेशों की पालना नहीं किये जाने से वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध धारा 223 एवं 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपील नहीं की जा सकती है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय

नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है । साथ ही न्यायहित में वादी/अपीलांट को अधी0न्याया0 में नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 30.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।